न्यायालय कलेक्टर कटनी (मध्यप्रदेश)

35

क्रमांक/ 3384 /री0कले0/2015 — कटनी, दिनांक/ 23 /09/2015

प्रति,

अवर सचिव,
राजस्व मंडल मध्यप्रदेश
ग्वालियर म0प्र0

निग/3768-I-15

विषयः- पुनर्विलोकन की अनुमति बाबत।

-0-

न्यायालय कलेक्टर कटनी का प्रकरण क्रमांक/02/अ-62/13-14 पक्षकार रामसहाय विरूद्ध म0प्र0शासन पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः- प्रकरण क्रमांक/02/अ-62/13-14 पक्षकार रामसहाय विरूद्ध म0प्र0शासन
पृ0क्र0 01 से 18 तक आदेश पत्रिका
पृ0क्र0 01 से 30 तक अन्य दस्तावेज
कुल पृष्ठ-18+30= 48 पृष्ठ

23/09/15
प्रभारी अधिकारी प्रस्तुतकार
जिला-कटनी

क्रमांक 7439
रजिस्टर्ड ...
दिनांक 19-11-15
...
राजस्व ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 3768–एक/2015 जिला–कटनी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक श्री रामसहाय कोल पिता स्व0 श्री अर्जुन कोल द्वारा पुनः सहखातेदार श्रीमती पार्वती पत्नी स्व0 श्री अर्जुन कोल के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण मॉ–बेटे है, जिन्हें प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक होने से पिता/पति से प्राप्त हुई है। अतः प्रकरण पुर्नविलोकन में लिया जाकर उक्त भूमि पर लगे वृक्षों को काटे जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। 3/ न्यायालय कलेक्टर, कटनी के अभिलेख देखने से विदित होता है कि आवेदक रामसहाय आदि ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, कटनी प्र0क्र0 02/अ–62/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 में प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 11 रकबा 0.30 है0 भूमि जिस पर वृक्ष स्थित है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार रामसहाय वल्द स्व0 श्री अर्जून कोल एवं श्रीमती पार्वती बेवा स्व0 श्री अर्जून	

कोल के नाम दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक सह–खातेदार है। अर्थात् उक्त भूमि के अंश भाग का ही स्वामी है, जबकि आवेदक ने सम्पूर्ण रकबे पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति चाही है, जिसे ततकालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि के विरूद्ध करार देते हुये अमान्य किया है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुर्नविलोकन का आवेदन न्यायालय कलेक्टर कटनी के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया। जिस पर कलेक्टर कटनी द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 में तकनीकी, प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक बिन्दुओं का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक माना है और इसी स्तर पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 की उपधारा (1)(एक) के तहत पुर्नविलोकन की अनुमति दिये जाने हेतु दिनांक 18.09.2015 को प्रकरण न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर प्रेषित किया है।

4/ न्यायालय कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 18.09.2015 को प्रेषित किये गये आवेदन का अध्ययन करने पर विदित होता है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 11 रकबा 0.30 है0 भूमि जिस पर वृक्ष स्थित है का कुछ अंश ही आवेदक के नाम दर्ज है। सम्पूर्ण नहीं। किन्तु आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रकबे पर लगे वृक्ष को काटने की अनुमति चाही गई और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने इसी आधार पर वृक्षों को काटने की अनुमति को अमान्य किया है जो कि उचित निर्णय है और रही पुर्नविलोकन आवेदन किये जाने का प्रश्न तो आवेदक किस आधार पर

पुर्नविलोकन करना चाहता है। जब एक बार प्रकरण में अंतिम निर्णय हो चुका है तो फिर दुबारा वही प्रकरण उसी न्यायालय में प्रचलन योग्य कैसे हो सकता है। मेरे मतानुसार पुर्नविलोकन की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विविध बलहीन होने से खारिज किया जाता है। यदि आवेदक चाहे तो वह वरिष्ठ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिये आवेदक स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य